E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–71 / 2020 /3331 पटना, दिनांकः– 08/08/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 315 दिनांक 04.03.2024 द्वारा श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04287) के विरूद्ध राजस्व ग्राम–लखीसराय, थाना नं0–629 का खानापुरी कार्य दिनांक 19.04.2023 से प्रारंभ करने के बावजूद प्रतिवेदित तिथि तक 3610 खेसरों के विरूद्ध मात्र 1932 खेसरों का ही खानापुरी कार्य सम्पन्न किए जाने का प्रतिवेदन दिया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अनेको बार समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने का दिशा–निर्देश एवं चेतावनी देने एवं मानदेय कटौती करने के बाद भी कार्य को अधूरा रखा गया है। फलस्वरूप गैर जिम्मेवारी, कर्त्तव्यहीनता एवं कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आलोक में कठोर दण्डातमक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप के पत्रांक 1379 दिनांक 14.03.2024 द्वारा श्री कुमार से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा उल्लेख किया है कि इनकी माँ कैंसर रोग से पीड़ित हैं, जिनकी देख–भाल हेतु इन्हें बार–बार माँ के पास जाना पड़ता है। चूंकि ये घर के अकेले व्यक्ति है, इस कारण माँ का ईलाज संबंधी कार्य इन्हें ही करना पड़ता है। साथ ही अंकित किया गया है कि इनके द्वारा 3610 खेसरों में से 1932 खेसरों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष बचे खेसरों का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लेंगे।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1770 दिनांक 09.04.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 553 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य कि श्री कुमार द्वारा आवंटित राजस्व ग्राम का किस्तवार कार्य 08 माह में पूर्ण किया गया है एवं 12 माह में भी 3610 खेसरों में से मात्र 2697 खेसरों का ही खानापुरी कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही लेखन जांच हेतु बार–बार याद्दाश्त पंजी उपस्थापित करने हेतु निर्देश दिए जाने के बाद भी 12 माह में केवल 410 खेसरों का ही याद्दाश्त जांच कराया गया है, जिसमें काफी त्रुटियाँ है। साथ ही साथ ये बार–बार अपने कार्य क्षेत्र से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। पुनः इन्हें गैर जिम्मेवार, कर्त्तव्यहीन एवं अयोग्य कर्मी मानते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त मंतव्य तथा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाता हूँ कि 4000 से भी कम खेसरो वाले ग्राम में अगस्त, 2022 से कार्य प्रारंभ करने के बाद भी अब तक इनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि ये बार–बार अपने कार्य क्षेत्र से अनाधिकृत अनुपस्थित रहते हैं। श्री कुमार द्वारा अपना पक्ष दिया गया है कि माँ की बिमारी के कारण इन्हें बार–बार माँ के ईलाज के लिए जाना पड़ता था, परन्तु इनके द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर जाने से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। साथ ही इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में स्वयं कार्य पूर्ण नहीं होने की बात स्वीकार की गयी है। इससे स्पष्ट है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं गैर–जिम्मेवार, कर्त्तव्यहीन तथा अयोग्य कर्मी रहने संबंधी लगाये आरोप सत्य है।

कृ0पृ0उ0

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु प्रक्रमवार समय सीमा निर्धारित किया गया है। यदि इतने गैर–जिम्मेवार विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है, तो निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनके कृत्य का कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के कंडिका–8 के आलोक में श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04287) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 30/7/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–71 / 2020 13230 **पटना, दिनांक** :– 08/08/2024

प्रतिलिपि :– श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04287), बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–71 / 2020 13230 **पटना, दिनांक** : 08/08/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जहानाबाद)–71 / 2020 13230 **पटना, दिनांक** : 08/08/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 30/7/24
भू–अभिलेख एवं परिमाप